न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2018

जगदीप सिंह पुत्र गुरनेबसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के.बी. ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. अश्वीन आयु 13 वर्ष पुत्र परविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के.बी. ढाणी तहसील अनूपगढ जरिये माता व वलिया परमजीतकौर पत्नी परविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के.बी.ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. परविन्द्रसिंह पुत्र जगदीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के.बी.ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. उप पंजीयक अनूपगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 09.5.2018

उपस्थितिः—

श्री सुभाष मिढा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री बलवन्त बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री देवेन्द्र रोझ अभिभाषक रेस्पों. सं. 2
श्री महावीर धारणिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 29/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 1 के.बी. के मु.नं. 5 प.नं. 157/14 के कि.नं. 20 से लेकर 24 की 1.013है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 का पौत्र है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 संयुक्त अविभाजित परिवार के सदस्य हैं, प्रार्थी नाबालिग है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी का हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी उक्त भूमि को आगे बेचान करना चाहता है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि उक्त विवादित 1.013है. भूमि अप्रार्थी किसी प्रकार से हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करे।

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अप्रार्थी सं. 1 विभाजित भूमि का अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 09.05.2018 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है जो किसी भी प्रकार से पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आती है। अपीलांट विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 नाबालिग है। रेस्पों. सं. 1 का अपीलांट दादा है। विवादित भूमि पैतृक है जिसमें रेस्पों. का हक व अधिकार बनता है। अपीलांट विवादित भूमि को बेचान करना चाहता है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व किसी प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है तो रेस्पों. के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी है जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि रेस्पों. सं. 1 अपीलांट का पोता है। परन्तु रेस्पों. सं. 1 पैतृक सम्पत्ति के आधार पर दावा लेकर आया है। प्रथम दृष्टया यह पारिवारिक कृषि भूमि के सम्बन्ध में परिवार के सदस्यों के मध्य विवाद है। रेस्पों.सं. 1 पारिवारिक विभाजन से अपना कब्जा काश्त बताता है। अधी. न्यायालय के मत में अपीलांट ने उनके समक्ष इस तथ्य बाबत कोई ठोस खण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जहां यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है या नहीं? रेस्पों. सं. 1 का उक्त भूमि में हक, हिस्सा व अधिकार बनता है या नहीं, इसका निर्णय तो अधी. न्यायालय द्वारा वाद में साक्ष्य आदि आने के पश्चात किया जाएगा। अधी. न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेचन में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवश्यक घटकों प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को विवेचित करते हुए उन्हें रेस्पों. स. 1 के पक्ष में मानकर आलोच्य स्थगन आदेश पारित किया है। जहां यह उचित ही है कि चूंकि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 नाबालिग है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि का किसी प्रकार से हस्तांतरण आदि हो जाता है तो प्रार्थी/रेस्पों. के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा एवं अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखने सम्बन्धी जो आदेश दिये हैं उसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलांट किसी प्रकार की अवैधानिकता इस आदेश बाबत प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर